

2/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरात स्पष्ट होता है कि वर्तमान याद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीघ चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान याद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एव संशोधित।

23/12/2019
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

23/12/2019
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।